**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जमुई**

उपस्थितः– सत्यनारायण शिवहरे
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई

इशरत खातुन, पति– मो0 राजू उर्फ मो0 सरफराज, पिता– मो0 सागीर
निवासी ग्राम–नया टोला माधोपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना
वर्तमान निवासी ग्राम– महिसौड़ी, थाना व जिला–जमुई,

**.....पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

1. बिहार राज्य

**.....विपक्षी प्रथम पक्ष**

2. परवेज आलम पिता स्व0 मो0 आसीन एवं अन्य

**....विपक्षी द्वितीय पक्ष**

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता – श्री सकलदेव
विपक्षी स0 01 बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता – श्री चन्द्रभानु सिंह,
अपर लोक अभियोजक,
विपक्षी सं0 02 परवेज आलम एवं अन्य के विद्वान अधिवक्ता– श्री आर0 के0 प्रवीण

**<u>निर्णय</u>**

1. यह पुनरीक्षण आवेदन (Revision petiton) तत्कालीन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आपराधिक परिवाद संख्या 419C/2023, में पारित आदेश दिनांक 23.09.2023, जिसके द्वारा जांचोपरांत अन्य अभियुक्तों को छोड़कर दो अभियुक्त मो0 राजू उर्फ मो0 सरफराज एवं मो0 सफी आलम के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 498(A) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम (D.P. Act) की धारा 4 के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया है। उस संज्ञान आदेश से क्षुब्ध और पीड़ित (Aggrieved and dissatisfy) होकर यह पुनरीक्षण दाखिल की गई है। पुनरीक्षण आवेदन (Revision petition) में कथन किया गया है कि विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी को इस मामले में शेष अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध भी संज्ञान लेना चाहिए था।

2. परिवाद पत्र के परिवादिनी इशरत खातुन (पुनरीक्षणकर्ता/Revisionist) द्वारा न्यायालय में दिए गये आवेदन का साररूप इस प्रकार है कि इशरत खातुन की शादी मो0 राजु उर्फ सरफराज से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.11.2018 को उभय पक्ष के सहमति से संपन्न हुयी। शादी के समय परिवादिनी के पिता ने अपने दामाद को घरेलू उपयोग का सारा सामान बॉक्स पलंज, फ्रिज, एल0ई0डी0 टी0वी0, गोदरेज, पांच भर सोना, बीस भर चांदी एवं उपहार स्वरूप अन्य सामान एवं चार लाख रूपया नगद दिये। शादी के बाद करीब दो माह तक परिवादिनी को उसके ससुराल वाले ठीक–ठाक तरीके से रखे। उसक बाद परिवादिनी को अपने पिता के यहां से दो लाख रूपया मांगकर लाने को कहने लगे तथा दहेज हेतु प्रताड़ित करने लगे। परिवादिनी बोली कि उसके पिता गरीब है, कर्ज लेकर उसकी शादी किये है, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पायी है तथा परिवार का सारा बोझ उसके पिता पर है इसलिये उसके पिता अब पैसा नही दे सकते। इसपर उसके भैसुर सफी आलम ने उसको भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये कहा कि जब ''तक तुम अपने बाप के यहां से दो लाख नही लाकर दोगी तब तक तुम्हे यहां रहने नही देगे।'' आफरीन निशा ने कहा कि ''तुम यहां से चली जाओ राजू उर्फ मो0 सरफराज की दूसरी शादी करवा दूंगी।'' नाजिमा खातुन, मो0 सरताज आलम एवं मो0 ईमामन सभी मिलकर उसको लात–मुक्का एवं फैट से मारने लगे। मो0 ईमामन, जिसके मकान में परिवादिनी के पति किराये पर रहते थे, इन्ही के इशारे पर उसके ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट एवं गाली–गलौज तथा विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना दे रहे थे। मो0 फिरोज, जो कि अगुआ है, इन्ही के इशारे पर सभी अभियुक्तगण मिलकर परिवादिनी को प्रताड़ित कर रहे थे। दिनाकं 10.10.2022 को समय करीब 7.00 बजे शाम में सभी अभियुक्तगण मिलकर परिवादिनी को उसके पिता के द्वारा दिये गये जेवरात एवं कपड़ा छीनकर घसीट कर उसे ससुराल से भगा दिया। दिनांक 25.3.2023 को उसके घर आकर उसके माता–पिता के साथ गाली–गलौज किये, फिर भी उसके पिता अपनी बेटी को ससुराल में रखने का आग्रह करते रहे, लेकिन उन्होनें इससे इंकार कर दिया।

3. पुनरीक्षण आवेदन (Revision petition) के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता (Revisionist) का मामला साररूप से यह है कि पुनरीक्षणकर्ता इसरत खातून के द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने जांच एवं सुनवाई के लिये विद्वान

अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जहां परिवादिनी का सशपथ बयान एवं जांच साक्षियो का बयान लेखबद्ध की गयी। सभी जांच साक्षियों ने परिवादिनी के पक्ष में गवाही दी, लेकिन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी ने केवल दो अभियुक्तो मो0 राजू उर्फ सरफराज एवं मो0 सफी आलम के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 498(A) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम (D.P. Act) की धारा 4 के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया है। विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी ने जांच साक्षियों के साक्ष्य और परिवादिनी के सशपथ बयान की सही परिपेक्ष्य में जांच नही की, क्योंकि सभी साक्षियों ने घ ाटना का समर्थन किया था। यह दिनांक 23.9.23 का प्रश्नगतः आदेश अवैध और अस्पष्ट है। अतः विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी के उपरोक्त आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश (Fresh Order) पारित करने का निर्देश देने की कृपा की जाय।

## <u>मन्तव्य (Findings)</u>

4. मैनें पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने आज दिनांक 29.06.2026 को एक आवेदन दिया कि पुनरीक्षणकर्ता (परिवादिनी) अपने ससुराल में राजी खुशी से रह रही है। अतः गुण–दोष के आधार पर इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज (Reject) किया जाये। मैनें अभिलेख में उपलब्ध जांच साक्ष्यों का अनुशीलन किया। मेरे विचार से विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी का प्रश्नगतः आदेश विधि सम्मतः है। अतः यह पुनरीक्षण आवेदन (Revision petition) **अस्वीकृत (Reject)** किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, उद्घोषित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई
**दिनांक–29.06.2026**

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई
**दिनांक–29.06.2026**